

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1588 का उत्तर

सिल्वर लाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना, केरल

1588. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल में सिल्वर लाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना की वर्तमान अनुमोदन की स्थिति क्या है और इसकी आयोजना और कार्यान्वयन में सरकार की विशिष्ट भूमिका क्या है;
- (ख) प्रस्तावित रेल मार्ग किस प्रकार का है और यात्री या मिश्रित यातायात के लिए इसका इच्छित उपयोग क्या है और परियोजना के लिए नियोजित तकनीकी विशिष्टताओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) परियोजना के लिए प्रस्तावित संरेखण का ब्यौरा क्या है और किन प्रमुख शहरों और स्थानों को यह जोड़ेगी और साथ ही मार्ग में कौन-कौन से स्टेशन बनाए जाने की योजना है;
- (घ) परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास और मुआवजे के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने की योजना बनाई गई है;
- (ङ) क्या परियोजना के लिए आवश्यक कूल भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है और भूमि अधिग्रहण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और
- (च) परियोजना के लिए अनुमानित बजट कितना है और निधि के स्रोत, वित्तीय भागीदारी और देनदारियां, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

सिल्वर लाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना, केरल के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री कोडिकुन्नील सुरेश के अतारांकित प्रश्न सं. 1588 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): केरल में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक सिल्वर लाइन केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल), जो केरल राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा विकास के लिए चिह्नित की गई है। सर्वेक्षण के बाद, केआरडीसीएल ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत कर दी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कई कमियां हैं। इसलिए, केआरडीसीएल को दक्षिण रेलवे द्वारा उन कमियों को दूर करने और जैसे बड़ी लाइन को अपनाना, उपयुक्त बिंदुओं पर मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क के साथ एकीकरण, फ्लैटर रूलिंग ग्रेडिएंट, कवच का प्रावधान, 2x25 केवी के साथ विद्युतीकरण, यार्ड और खंडों के लिए उचित जल निकासी योजना, निर्माण और परिचालन के दौरान पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान आदि जैसे नवीनतम तकनीकी मानकों के अनुसार संशोधित डीपीआर तैयार करने की सलाह दी गई है परियोजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है।
